पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024
उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या नये नम्बरः 205/2024
नये जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/228

पंचायत निगरानी गत नम्बरः 06/2021
गत जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2021/23

प्रार्थी :–

रणजीतसिंह पुत्र श्री हकमा जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बंसन्त, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. उगमसिंह पुत्र श्री हेमजी जाति राजपुरोहित, निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत बंसत जरिये सरंपच तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध संकल्प संख्या 1ए दिनांक 20.10.2019 जो ग्राम पंचायत बसंत ने तथाकथित मिसल संख्या 16/19–20 में पारित किया तथा जिसकी पालना में पट्टा संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को जारी किया उसको निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिलीप सिंह राजपुरोहित व जितेश कुमार भण्डारी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता गणपतसिंह राजपुरोहित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 14.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **विरुद्ध संकल्प संख्या 1ए दिनांक 20.10.2019 जो ग्राम पंचायत बसंत ने तथाकथित मिसल संख्या 16/19–20 में पारित किया तथा जिसकी पालना में पट्टा संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को जारी किया उसको निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थी का पैतृक पुश्तैनी मालिकाना हक अधिकार स्वामित्व का कब्जाशुदा भूखण्ड मय मकान ग्राम बसंत में निम्न पडौस का स्थित है:–
उत्तर दिशा में:– मोहब्बतसिंह पुत्र मोतीसिंह का मकान
दक्षिण में: कैलाशसिंह पुत्र खीमजी पुरोहित की दुकान मकान इसके आगे कोशेलाव बाबा जाने वाला मार्ग
पूर्व में:– प्लोट का निकाल व आम रास्ता
पश्चिम में:– आम रास्ता व निकाल
उपरोक्त परिसर में से दक्षिण तरफ का आधा परिसर जिसकी लम्बाई 52 फीट एवं चौडाई 29 फीट है जो इस निगरानी की विषयवस्तु हैं। सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक नजरी नक्शा साथ पेश किया जा रहा है जो इस निगरानी का अंग है जिसे इस निगरानी के साथ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205 / 2024
उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पढा जाए। उपरोक्त सलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित हिस्सा ही जैर निगरानी में विवादित भूमि है।

2. यह है उपरोक्त पड़ौसियों के बीच के भूखण्ड मय मकान के आधे हिस्से उत्तरी भाग की तरफ प्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता है तथा उक्त मकान के दक्षिण दिशा की तरफ यानि सम्पति का आधा भाग जिसकी लम्बाई 52 फीट एवं चौड़ाई 29 फीट है जो मौके पर खाली भूखण्ड स्थित है जिसके चारो तरफ प्रार्थी ने चार दिवारी का निर्माण करवाकर परकोटा बनाया है तथा भूखण्ड के बाहर मुख्य द्वार का दरवाजा लगाया हुआ है। उक्त मकान से भूखण्ड में आने हेतु दोनों के मध्य दरवाजा लगा हुआ है। उक्त सम्पूर्ण सम्पति प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पति है जिस पर प्रार्थी के पिताजी हकमाजी के पश्चात प्रार्थी काबिज होकर स्वतन्त्र उपयोग उपभोग कर रहा हैं। जिस पर आज दिन तक कब्जा आधिपत्य निवास प्रार्थी का चला आ रहा है। भूखण्ड के फोटोग्राफ निगरानी के साथ पेश है।

3. यह है कि उपरोक्त पड़ौसियों के बीच का सम्पूर्ण परिसर प्रार्थी का पुश्तैनी परिसर है प्रार्थी के परिसर के दक्षिण दिशा के पडौसी कैलाश पुत्र खीनजी है, वर्तमान में कैलाश जिस मकान में निवास कर रहा है उक्त मकान का प्लोट कैलाश के पिताजी खीनजी ने रावतींग जी से दिनांक 10.04.1966 को खरीद किया था। उस बेचाण में उक्त प्लोट के पड़ौस के उत्तर में प्रार्थी के पिताजी हकमाजी पुत्र शेराजी का नाम इन्द्राज है, उक्त बेचाण को ग्राम पंचायत के पट्टा रजिस्टर पेज संख्या 07 पर क्रम संख्या 104 पर दर्ज किया गया। उक्त बेचाण में अंकित पड़ौस से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण परिसर प्रार्थी का पुश्तैनी परिसर है, पूर्व में प्रार्थी के पिताजी काबिज थे एवं पिताजी के बाद प्रार्थी लगातार निर्बाध रुप से काबिज है। बेचाण की फोटोप्रति निगरानी के साथ सलंग्न है।

4. यह है कि प्रार्थी के परिसर के उत्तरी भाग के पड़ौसी मोहब्बतसिंह के पिताजी मोतीसिंह पुत्र अदरिंग जी के पक्ष में जो पट्टा लिखत लिखी गई थी उस पट्टा लिखत के दक्षिण के पड़ौस में भी "पट्टो पडियों" लिखा गया है अर्थात प्रार्थी के परिसर के उत्तर की दिशा में मातीसिंह पुत्र अदरिंग जी का प्लोट था उस प्लोट पर मकान निर्माण किया गया, वर्तमान मकान में उनका पुत्र मोहब्बतसिंह निवास करता है उक्त परिसर के लिखत में दक्षिण दिशा में जो "पट्टो पडियों" लिखा है वह प्रार्थी का पुश्तैनी प्लोट है इससे भी स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थी का पुश्तैनी प्लोट था उसके आधे भाग पर प्रार्थी ने मकान का निर्माण किया एवं आधा भाग 52 बाई 29 फीट प्लोट के रुप में रखा जिसके चारों तरफ प्रार्थी ने बाउण्ड्री करवाकर परकोटा करवाया है, यही आधा भाग जैर निगरानी में विवादित परिसर हैं वर्तमान में भी यहां पर प्लोट स्थित हैं न की मकान, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 के तत्कालीन सरपंच ने विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के पुश्तैनी प्लोट का पट्टा पंचायत राज नियम 157(1) के तहत दिया है जो अवैध है एवं नियम विरुद्ध हैं। 157(1) के तहत पुराने गृह का पट्टा दिया जाता है न की प्लोट का मौके पर वर्तमान में भी प्रार्थी का बाउण्ड्रीशुदा, कब्जाशुदा प्लोट स्थित है प्रार्थी के उत्तरी दिशा के पड़ौसी मोहब्बतसिंह के पिताजी के पक्ष में जो लिखत लिखी गई उसके दक्षिण में पडियो प्लोट बताया है इससे भी स्पष्ट है कि मौके पर कभी पुराना गृह नही रहा है, लिखत की फोटोप्रति साथ पेश है।

5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच वगैरा से मिलावट कर प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड का आगे वर्णितानुसार अधिकारिता विहिन एवं विधि नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया एवं उक्त अवैध पट्टे की आड मे नवम्बर 2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्राथी के परिसर का ताला तोड़कर कब्जा करने एवं बेदखल करने की प्रार्थी का धमकी दी तब प्रार्थी ने उक्त परिसर स्वयं का पुश्तैनी परिसर होना बताया। तब अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी को बताया कि उक्त परिसर का पट्टा उसने अपने पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं वार्डपंचों के साथ मिलकर बना दिया है तब प्रार्थी को प्रथम बार जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने पंचायत से सम्पर्क करके पट्टे एवं मिसल नकले ली तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड पर आगे वर्णितानुसार अधिकारितावीहिन विधि विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया जिस कारण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024
उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 सहित अन्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2020 तखतगढ थाने में पेश की जो अन्वेक्षाधीन हैं। अप्रार्थी ग्राम पंचायत बसन्त द्वारा प्रस्ताव संख्या 1ए एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 13 आगे वर्णित कारणों एवं आधारों पर निरस्त करने के लिए प्रार्थी निम्न आधारों पर निगरानी पेश कर रहा हैं।

6. यह है कि निगरानीग्रस्त पट्टा विधि विरुद्ध अनुचित एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा गलत रुप से विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित जारी किया है जो रद्द किये जाने योग्य है,क्योंकि उक्त भूखण्ड प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड है एवं वर्तमान में भी मौके पर प्रार्थी का कब्जाशुदा भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के हक अधिकार आधिपत्य नही है, न ही अप्रार्थी संख्या 01 का पुराना गृह है फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 तत्कालीन सरपंच ने प्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में भूखण्ड को पुराना गृह बताकर 157(1) में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो जैर निगरानी पट्टा प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है।

7. यह है कि नियम 145(1) के तहत क्रय करने के लिए आवेदन पेश होने पर नियम 145(2) के तहत आवेदक आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययोपेटे 25/– राशि जमा करवायेगा तथा नियम 145(3) के तहत यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया है तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए भी 25/– जमा करवायेगा। ऐसे मामले में सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल का नक्शा तैयार करेगा तत्पश्चात सचिव नियम 146 के तहत ऐसे आवेदन को प्रारुप 21 में एक रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और फाईल खोलेगा। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 का पक्ष करते हुए आवेदन पेश होने से पूर्व ही यानि आवेदन दिनांक 06.09.2019 को पेश हुआ उससे एक दिन पूर्व ही दिनांक 05.09.2019 को पत्रावली दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया आवेदन पेश होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पत्रावली दर्ज कर दी गई एवं आदेशिका में अंकित किया गया कि दिनांक 05.09.2019 को प्रार्थी उगमसिंह ने आवासीय भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश नही किया गया, बिना आवेदन के पत्रावली दर्ज कर दी एवं जो मिशल दर्ज की उस मिशल एवं पट्टे के उपर दायर दिनांक 28.08.2019 दर्ज की यानि आवेदन से 9–10 दिन पूर्व ही मिशल दर्ज कर दी। तत्पश्चात सचिव को भूमि का नक्शा मय वार्डपंचों को साथ मे ले जाकर बनाने का आदेश दिया जबकि आदेशिका में नक्शा पेश एवं निरीक्षण शुल्क के 25–25 /रुपये ग्राम पंचायत में जमा करवाये गये है या नही उसका लेस मात्र भी उल्लेख नही किया आदेशिका का अवलोकन करावे तो प्रकट है कि एक ही पेन से एक ही दिन में लिखी गई प्रथम दृष्टया प्रकट हैं। अतः नियम 145 (1), 145(2) एवं 145 (3) की विधिवत पालना नहीं कर घोर उल्लंघन किया है एवं बिना आवेदन बिना नक्शा पेश एवं निरीक्षण शुल्क लिये अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलीभगत एवं मिलावट कर विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य हैं।

8. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 06.09.2019 को उसका खरीदशुदा भूखण्ड का पट्टा दिलाने बाबत आवेदन पेश किया एवं आवेदन में कोई नाप अंकित नहीं करते हुए पड़ौस अंकित किये एवं आवेदन में उपर जो खरीदशुदा भूखण्ड बताया एवं उसी आवेदन के नीचे के क्रम संख्या 04 में भूमि पर आधिपत्य पुश्तैनी रुप से चला आ रहा है एवं क्रम संख्या 05 में भूमि को पुश्तैनी रुप से प्राप्त करना बताया है। अप्रार्थी संख्या 01 के आवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 का कोई पुश्तैनी रहवासीय मकान आवेदन पत्र से प्रकट नहीं है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

9. यह है कि नियम 157 के तहत केवल पुश्तैनी आवासीय मकानों बाबत ही पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है, भूखण्ड का पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है और इस भूमि के पास ही उत्तरी दिशा में प्रार्थी स्वयं का मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है, जैर निगरानी पट्टे की भूमि एवं प्रार्थी के मकान की भूमि का पूर्व में एक ही प्लोट था। उस प्लोट के आधे भाग में प्रार्थी ने मकान का निर्माण करवाया तो आधा भाग भूखण्ड के रुप में परकोटा कर छोडा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

हुआ है, उक्त भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा भूखण्ड के रुप में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत जारी किया है जो बिना क्षेत्राधिकारीता का होने से प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य हैं।

10. यह है कि नियम 157 के तहत भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, जैर निगरानी मिशल में भूखण्ड पुश्तैनी होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। गवाह लालसिंह के बयान लिये है जिसने अपनें बयानों में उगमसिंह का 40 वर्षो से भूखण्ड पर कब्जा बताया है एवं दूसरा गवाह रुपसिंह के बयान लिये उसने अपने बयानों में मकान है या भूखण्ड के कुछ भी अंकित नहीं किया है, अतः गवाह के बयानों से भी स्पष्ट है कि मौके पर भूखण्ड है और भूखण्ड का पट्टा 157 (1) के तहत नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी आदेश मय विक्रय विलेख अवैध एवं शुन्यव्रत होने से अपास्त योग्य हैं।

11. यह है कि नियम 146 के तहत ग्रुप सचिव को आवेदन पेश नहीं हुआ। पत्रावली दर्ज हुई उस पर ग्रुप सचिव के बजाय सरपंच के हस्ताक्षर है तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त करने का पंचायत बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और न ही कोई लिखा गया कि कौन–कौन वार्ड पंच मौका देखने जायेंगे पंचान के कोई नाम दर्ज नहीं किये, न ही आदेशिका में मौका देखा गया, न ही वांछनियता से संबंधित कोई रिपोर्ट पेश की गई। मात्र मिशल में एक टाईपशुदा फॉर्म में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पेश कर दिया। किसके हस्ताक्षर है किसके अंगुठे है कौन है कुछ भी अंकित नहीं किया है, एवं जो टाईपशुदा फॉर्म जिसको मौका निरीक्षण रिपोर्ट बताया है वह दिनांक 05.09.2019 की है जबकि दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 उगमसिंह द्वारा पट्टे के लिए आवेदन भी पेश नही किया गया था एवं आदेशिका दिनांक 05.09.2019 में प्रार्थी द्वारा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लिखा गया है एवं टाईपशुदा नक्शा रिपोर्ट फॉर्म में मकान लिखा है, इससे स्पष्ट है कि पंचों द्वारा नही तो मौका देखा गया न ही कोई रिपोर्ट तैयार की गई मात्र पंचायत में बैठकर एक ही दिन में एक ही पेन से सम्पूर्ण मिशल की कार्यवाही कर अवैध प्रक्रिया अपनाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो अपास्त योग्य है।

12. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 148 (1) के तहत आपत्ति मांगने का सूचना पत्र निर्धारित प्रपत्र 22 में जारी किया गया परन्तु विधि अनुसार आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र में किस नाप की भूमि क्रय करने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 ने आवेदन किया उसका उल्लेख न तो आवेदन पत्र में है और न ही आपत्ति मांगने की सूचना पत्र में है, इसके अलावा जिन दो व्यक्तियों की मौजुदगी में उक्त आपत्ति मांगने का सूचना पत्र चस्पा किया गया उन दोनो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पिता के नाम, जाति, सकुनत इत्यादि उक्त आम सूचना प्रपत्र पर दर्ज करना एवं उनके हस्ताक्षर करवाना आज्ञापक है, जबकि तथाकथित आम सूचना पत्र के अवलोकन से प्रकट है कि नियम 148(1) एवं 148(2) की विधिवत पालना की ही नही गई। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा निरस्त करने योग्य हैं।

13. यह है कि दिनांक 20.10.2019 के अवलोकन से प्रकट है कि जिन गवाहों के बयान करवाये उन गवाहों के आदेशिका में नाम दर्ज नहीं है, यह भी उल्लेख नही है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने वादग्रस्त भूखण्ड पर अपना पुश्तैनी कब्जा सिद्ध करने हेतु कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है, जिन गवाहों के बयान कलमबद्ध किये वे टाईपशुदा फॉर्म में रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, बयान किस तारीख को कलमबद्ध किये गये दिनांक उल्लेखित नहीं है। प्रस्तुत गवाह लालसिंह ने अपने बयानों में अप्रार्थी संख्या 01 का 40 वर्षो से भूखण्ड पर कब्जा बताया है जबकि पट्टा 157(1) के तहत दिया है तो भूखण्ड पर कब्जा है तो 157 के तहत पट्टा कैसे दिया जा सकता है, एवं लालसिंह के बयान से स्पष्ट है कि मौके पर भूखण्ड है। इसी प्रकार प्रस्तुत गवाह रुपसिंह के बयानों में भी टाईपशुदा फॉर्म में रिक्त स्थानों की पूति की है एवं फॉर्म में दिनांक तक अंकित नहीं की है, इसके अतिरिक्त रुपसिंह के बयानों में अप्रार्थी संख्या 01 का 45 वर्षो से कब्जा बताया है लेकिन कब्जा किस पर है मकान पर है या भूखण्ड पर कुछ भी अंकित नहीं है, इससे प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि सारी कार्यवाही आपसी साजिश एवं षडयंत्र के तहत बाले–बाले एक ही दिन में आदेशिकाओं को एक ही पेन से लिखा गया है, एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024
उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

14. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा बनाने के लिये आवेदन दिनांक 06.09.2019 को पेश किया जाता है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही यानि बिना आवेदन के ही पत्रावली दिनांक 05.09.2019 को दर्ज कर दी जाती है एवं कार्यवाही शुरु कर दी जाती है। मिशल में प्रथम आदेशिका दिनांक 05.09.2019 को लिखी जाती है जबकि मिशल दायर 28.08.2019 को कर दी जाती है अर्थात आवेदन पेश होने के 9–10 दिन पूर्व ही मिशल दायर कर दी जाती है इन सभी से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच व अन्यो के साथ मिलीभगत साजिश एवं षडयन्त्र के तहत प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड को हड़प करने के लिए अवैध तरीके से विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर एक ही दिन में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य हैं।
15. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1)(2) के तहत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया जाता है एवं पट्टा 157(1) के तहत जो निर्धारित शुल्क तय है वह भी अदा नही किया गया एवं दिनांक 20.10.2019 के बाद किस गवाह के बयान लिये गये, पट्टा कैसे जारी किया गया, प्रस्ताव के कितने दिन बाद जारी किया गया, किस दिनांक को जारी किया गया कुछ भी आदेशिका में अंकित नही है, राजस्थान पंचायत राज नियम के अनुसार प्रस्ताव लेने के एक माह बाद पट्टा जारी किया जा सकता है एक माह की अवधि के पूर्व पट्टा जारी नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण में प्रस्ताव लेने के बाद किस तारीख को पट्टा जारी किया उसकी कोई आदेशिका नही लिखी एवं जो पट्टा जारी किया पट्टे में भी पट्टा जारी करने की दिनांक का अंकन नहीं किया गया, न ही सचिव के हस्ताक्षर पट्टे पर करवाये गये इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को कर अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो अपास्त योग्य है।
16. यह है कि सम्पूर्ण पत्रावली से प्रकट नही है कि अप्रार्थी संख्या 01 का मौके पर 50 वर्षो से अधिक समय से पुश्तैनी मकान मौजुद हो। पत्रावली मे दो गवाह के बयान लिये गये उनमें से एक गवाह ने भूखण्ड पर 40 वर्षो से कब्जा बताया एक गवाह ने अपने बयानों में भूखण्ड या मकान कुछ भी अंकित नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच ने मिलावट एवं षडयंत्र कर अप्रार्थी संख्या 01 को आर्थिक लाभ पहूंचाने की गरज से कोडियों के भाव में प्रार्थी का पैतृक भूखण्ड का पट्टा जारी कर विक्रय कर दिया। अतः जैर निगरानी पट्टा संख्या 13 निरस्त करने योग्य है।
17. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के पैतृक ,पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखण्ड का विवादग्रस्त पट्टा बनाकर उक्त पट्टे की आड में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखण्ड पर नाजायज अनाधिकृत अवैध कब्जा करने की कोशिश की एवं कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे प्रार्थी को सख्त प्रिज्युडिश हो रही है, अतः प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा जैर निगरानी संकल्प संख्या 1ए दिनांक 20.10.2019 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि:–

1. ग्राम बसन्त तहसील सुमेरपुर में अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनीशुदा रहवासीय मकान आया हुआ हैं जिसके नाप व पड़ौस निम्न हैं।
   उत्तर में :– रणजीतसिंह पुत्र हकमाजी।
   दक्षिण में:– कैलाशसिंह पुत्र खीमसिंहजी।
   पूर्व में :– आम रास्ता व दरवाजा
   पश्चिम में:– आम रास्ता व दरवाजा।
   नाप में 29 फीट चौड़ा व 52 फीट लम्बा कुल क्षैत्रफल 1508 वर्गफीट है। जिस पर शांन्तिपूर्वक काबिज हैं। उपरोक्त पुश्तैनी रहवासीय मकान का पट्टा बनाने बाबत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 28.08.2019 को ग्राम पंचायत बसन्त में आवेदन पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मिसल कायम की गयी। जिसके मिसल संख्या 16/2019–20 है। साथ ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024

उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थी को कहा गया कि पट्टे बाबत शपथ–पत्र पेश करें। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने शपथ पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत बसन्त द्वारा पंचायत राज के अधिनियम के नियमानुसार कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 01/20.10.2019 की अनुपालना में दिनांक 26.10.2019 को पट्टा जारी किया गया तथा अप्रार्थी संख्या एक उगमसिंह द्वारा दिनांक 26.10.2019 को 200/– रुपये विक्रय विलेख बाबत पंचायत में जमा करवाये जिसकी रसीद संख्या 80 पुस्तक संख्या 299 है उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा सभी नियमों की पूर्णतया पालना की गई है।

2. यह कि उक्त अप्रार्थी संख्या एक के रहवासीय मकान व उसके पास के प्रार्थी के भूखण्ड को हेमजी व हकमाजी सेराजी पुरोहित निवासी बसन्त ने तत्कालीन बसन्त गांव के मुख्यान से 112 रुपये में दो भूखण्ड खरीद किये थे। हेमजी चेलाजी के भूखण्ड पर उगमसिंह पुत्र हेमजी के नाम से पट्टा जारी किया तथा हकमाजी सेराजी के भूखण्ड पर प्रार्थी रणजीतसिंह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त भूखण्ड खरीदने का लिखत किया हुआ है। जो दिनांक 05.06.1961 को तत्कालीन सरपंच द्वारा तस्दीक किया हुआ है। उक्त लिखत में यह स्पष्ट लिखा है कि दो पट्टा थोने दिया हैं। एक पट्टे पर प्रार्थी रणजीतसिंह निवास कर रहा है दूसरे पर अप्रार्थी उगमसिंह को गोदपुत्र लिया हुआ है जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित किया हुआ है।

3. यह कि दिनांक 20.10.2022 को प्रार्थी रणजीतसिंह द्वारा ग्राम पंचायत में अप्रार्थी उगमसिंह के नाम से जारी पट्टे बाबत एतराज पेश किया जिससे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.11.2020 को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा रणजीतसिंह को भेजे पत्र क्रमांक 418 दिनांक 27.11.2020 में यह स्पष्ट रुप से लिखा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को जारी किया गया है जो विधि अनुसार सही जारी किया गया है तथा साथ ही लिखा है कि दिनांक 06.05.2021 को तत्कालीन सरपंच द्वारा तस्दीक शुदा लिखत की प्रति आप (प्रार्थी रणजीतसिंह) द्वारा पेश की गयी है उसमें स्पष्ट रुप से वर्णित है कि एक भूखण्ड हेमजी पुत्र चेलाजी व एक भूखण्ड हकमाजी पुत्र सेराजी पुरोहित बसन्त को तत्कालीन ग्राम मुख्यान बसन्त द्वारा 112 रुपये उक्त दोनो से लेकर दो भूखण्ड दिये गये थे जिस लिखत के अनुसार हेमजी पुत्र चेलाजी के भूखण्ड पर उगमसिंह गोदपुत्र हेमसिंह को पट्टा जारी किया गया है हेमजी चेलाजी के कोई जायन्दा पुत्र नही है तथा उगमसिंह जी उनका एकमात्र गोदी पुत्र है। इसी प्रकार हकमाजी सेराजी के भूखण्ड पर आप (प्रार्थी रणजीत सिंह) स्वयं मौके पर काबिज है। इस प्रकार उगमसिंह को पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया जो सही जारी किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी उगमसिंह के पक्ष में जारी किये गये पट्टे जो नियमानुसार जारी किया गया है उक्त पत्र पंचायत रिकॉर्ड के साथ न्यायालय में पेश किया है। तथा उक्त रहवासीय मकान उगमसिंह का पुश्तैनी मकान था जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश की गयी निगरानी खारिज की जावे।

4. यह कि ग्राम पंचायत बसन्त द्वारा मिसल संख्या 65/2016–2017 दायरा दिनांक 26.05.2016 बुक संख्या 36 पट्टा क्रमांक 03 दिनांक 15.06.2017 को बसन्त निवासी कैलाशसिंह पुत्र खीमसिंह जाति पुरोहित के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है उक्त पट्टे के उत्तर में पडौस में उगमसिंह पुत्र हेमसिंह जी का मकान दर्ज है। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त रहवासीय मकान अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी मकान है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी द्वारा पेश की गयी निगरानी खारिज की जावें।

5. यह कि प्रार्थी ने उगमसिंह व अन्य के विरुद्ध में प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे बाबत पुलिस थाना तखतगढ़ में एक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी जिसके एफ आई आर संख्या 203/09.12.2020 अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 196, 197, 199, 200, 120 बी आई पी सी में दर्ज की। उक्त रिपोट्र पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण का गहनता के साथ अनुसंधान कर सारे दस्तावेज एकत्रित कर उक्त रिपोर्ट में एफ.आर. अदम वकु झूठ न्यायालय में पेश की। उक्त रिपोर्ट के अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय में एफ.आर. पेश की। उसमें पुलिस ने अपनी जांच में पाया की प्रार्थी रणजीतसिंह के विवादित भूखण्ड के दक्षिण दिशा में निवास कर रहे कैलाशसिंह पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित के मकान के उत्तर दिशा में उगमसिंह गोद हेमजी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024

उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

का दर्शाया गया हैं, कैलाशसिंह व अप्रार्थी संख्या एक उगमसिंह के बीच की दीवार का निर्माण करने वाले कारीगर छगनलाल ने भी उक्त प्लोट पर उगमसिंह का कब्जा होने बाबत बयान दिये है। पुलिस अनुसंधान में यह भी स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी उगमसिंह ने दिनांक 28.08.2019 को पट्टा बनाने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में पेश किया था तथा उक्त मकान पर दीवार निर्माण व अन्य कार्य भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी रणजीतसिंह की मौजुदगी में किया गया तथा रणजीतसिंह के कभी भी प्लोट बाबत कोई विवाद व एतराज नही है अब प्रार्थी उक्त प्लोट भूखण्ड को हडपना चाहता है जिस बाबत उक्त निगरानी न्यायालय में पेश की है। अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड पर पूर्व से ही निर्माण कार्य किया हुआ था। जिसके फोटोग्राफ अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पट्टा बनाने के आवेदन के साथ पेश किये थे जो शामिल पंचायत मिसल है। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टे की भूमि पर पूर्व में निर्माण किया हुआ था। पुलिस अनुसंधान में यह भी पाया गया की बसन्त गांव के ग्रामीणों ने उक्त पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या एक उगमसिंह की होना ही बताया तथा उगमसिंह का ही कब्जा बताया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की जिसे खारिज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

6. यह कि प्रार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड मकान अप्रार्थी संख्या एक के पुश्तैनीशुदा कब्जा शुदा मालिकाना हक हकूकों का है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी उगमसिंह का पुश्तैनी मकान कैलाशसिंह के पास में आया हुआ है। उक्त मकान उगमसिंह का पुश्तैनी मकान है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा नक्शा पेश किया जो गलत है।
2. पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी मकान ग्राम बसन्त में आया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया हुआ है। जो नाप में 52 बाई 29 फीट यानि कुल 1508 वर्गफीट है। उक्त रहवासीय मकान के चारो तरह अप्रार्थी द्वारा बाउन्ड्रीवाल की हुयी है जिसके अन्दर टीनशेड बना हुआ है। जिसके फोटो ग्राफ अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन के साथ सलंग्न किये हुए है जिस पर लोहे का गेट भी लगा हुआ है। गेट के दोनो तरफ उगमसिंह पुत्र हेमजी लिखा हुआ है जिससे यह पूर्णतया साबित है कि उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड मकान अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी कब्जाशुदा है। जिसे निर्विवाद रुप से प्रार्थीया उपयोग व उपभोग कर रहा है। उक्त पट्टा शुदा भूमि पर कभी भी प्रार्थी के पिता का कब्जा नही रहा है।

पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। कैलाशसिंह पुत्र खीमजी के नाम से जारी ग्राम पंचायत बसंन्त द्वारा पट्टा संख्या 03 दिनांक 15.06.2017 को जारी किया हुआ जिसके उत्तर दिशा के पडौस में उगमसिंह पुत्र हेमसिंह दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि कैलाशसिंह के पडौस में उगमसिंह का पुश्तैनी भूखण्ड मकान आया हुआ है। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त पट्टा शुदा भूमि पर कभी भी हकमाजी सेराजी व प्रार्थी का कब्जा नही रहा है।

4. पद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के कब्जा शुदा पुश्तैनी मकान का भूखण्ड पर सारा निर्माण कार्य अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया हुआ है जिसकी पुष्टि पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट भी करती हैं। अप्रार्थी संख्या एक के पडौस में प्रार्थी का रहवासीय मकान है जिस पर प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी के पिता ने संयुक्त रुप से दो पट्टे बसन्त गांव के मुख्यान से जरिये इकरार खरीद किये थे जिसमें एक पट्टे पर प्रार्थी मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा एक पट्टे पर प्रार्थी उगमसिंह काबिज है तथा पुश्तैनी मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर जारी किया हुआ है। मकान के प्लोट अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने के आवेदन के साथ पेश किये थे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024

उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

5. पद संख्या पांच गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड मकान पर कभी भी कब्जा नही रहा है। प्रार्थी अपने रहवासीय मकान से निवास करता है तथा उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड मकान पर अप्रार्थी एक शांतिपूर्वक काबिज है। अप्रार्थी के कब्जाशुदा मकान पर अनाधिकृत रुप से कब्जा करने का प्रार्थी द्वारा प्रयास किया गया है तो अप्रार्थी द्वारा कानुनी कार्यवाही की गयी जिसके बाद प्रार्थी द्वारा तखतगढ़ थाने में एफ.आई.आर संख्यज्ञ 203/2020 दर्ज करवाये जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान के अदम वकु झूठ में एफ.आर पेश की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अप्रार्थीगण को पट्टा जारी किया गया।

6. पद संख्या छ गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड मकान पर अप्रार्थी का पुश्तैनी मकान है जिसके आवेदन के साथ फोटो ग्राफ पेश किये थे। पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी किया।

7. पद संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा अपने पुराने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु नियमानुसार आवेदन 28.08.2019 को ग्राम पंचायत में पेश किया था जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर व नियमानुसार राशि जमा कर अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2019 को आवेदन पेश किया गया था उसके बाद मिसल कायम की गयी थी जो पंचायत पत्रावली मिसल में शामिल है। उसके बाद पंचायत द्वारा नियमानुसर कार्यवाही कर अप्राथी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था।

8. पद संख्या आठ गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के पुश्तैनी मकान का ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है तथा पट्टा शुदा मकान पर अप्रार्थी संख्या एक का निर्विवाद रुप से काबिज है।

9. पद संख्या नौ गलत होने से अस्वीकार है। पट्टाशुदा मकान पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त पट्टाशुदा मकान अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी है। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने अपने खर्चे से बाउन्ड्रीवॉल व अन्य निर्माण कार्य करवाया है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है।

10. पद संख्या दस गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी का पुश्तैनी व पुराना मकान होने से पंचायत द्वारा नियमानुसर कार्यवाही कर दो गवाहो के बयान लेकर पट्टा जारी किया गया है।

11. पद संख्या ग्यारह गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसर कार्यवाही कर तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया था जिन्होने पट्टा मकान का मौका देखा उसके बाद पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया था अप्रार्थी संख्या एक उगमसिंह द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन दिनांक 28.08.2019 को ग्राम पंचायत ने किया था तथा मिसल कायम की थी।

12. पद संख्या बारह गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आपत्ति इश्तिहार जारी किये गये जिस पर दो मौजीज लोगो की उपस्थिति में चस्पा किया गया। जिसकी रिपोर्ट पंचायत पत्रावली में शामिल मिसल है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही पट्टा जारी किया गया है।

13. पद संख्या तेरह गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक पुश्तैनीशुदा मकान पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे बाबत दो गवाहो के बयान ग्राम पंचायत में दर्ज हुये उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया। गवाह के बयान शामिल पत्रावली में है।

14. पद संख्या चौदह गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 28.08.2019 को पट्टे बनाने हेतु आवेदन पेश किया था उसी रोज मिसल कायम की गयी थी। उसके बाद ग्राम पंचायत नियमानुसर कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया था।

15. पद संख्या पन्द्रह गलत होने से अस्वीकार है। पंचायत द्वारा पूर्णतया नियमों की पालना करते हुये अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में पुश्तैनी पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया हैं। पंचायत द्वारा पूर्णतया पंचायत राज अधिनियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया।

16. पद संख्या सोलह गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के पुश्तैनी मकान का पट्टा वर्षों से अप्रार्थी संख्या एक के पिता व उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या एक निर्विवाद रुप से उक्त मकान पर काबिज है। प्रार्थी उक्त अप्रार्थी के पुश्तैनी मकान को हडपना चाहता है। जिस बाबत उक्त निगरानी पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024

उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

17. पद संख्या सत्रह गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अप्रार्थी के पट्टाशुदा मकान पर जबरदस्त कब्जा करना चाहता है। जिस हेतु तरह तरह के नाजायज व गैर कानुनी हरकते करता है तथा अप्रार्थी संख्या एक का तंग व परेशान कर रहा है। ताकि अप्रार्थी संख्या एक के पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर सकें।

18. पद संख्या अठारह कानूनी है।

अतः निगरानी का जवाब पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। निगरानी से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानी से सम्बन्धित विवादित भूखण्ड प्रार्थीपक्ष की पुश्तैनी सम्पति है जिस पर उनके पिता के समय से ही प्रार्थी का स्वामित्व तथा उनके कब्जाधीन प्लॉट है। दिनांक 10.04.1966 को खीमजी एवं रावतींग जी के मध्य हुए एक बेचाननामें में भी इस भूखण्ड का प्रार्थी के पिता का नाम चतुर्दशी में अंकित है तथा उक्त लिखित बेचान की फोटोप्रति याचिका के साथ पत्रावली में सलंग्न है। इसी प्रकार मोतीजी पुत्र अदरिंग जी के पक्ष में निष्पादित बेचान लिखत की चतुर्दशी में भी दक्षिण दिशा में 'पट्टो पडियो' का अंकन है, जो यह दर्शाता है कि जैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण की पट्टाशुदा पुश्तैनी सम्पति थी, जिस पर अप्रार्थी उगमसिंह द्वारा दिनांक 26.10.2019 के आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 13 बनाकर अवैधानिक कृत्य कारित किया गया है। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने यह भी जाहिर किया किया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में निष्पादित किया गया है जबकि मौके पर भूमि खाली है अर्थात कोई निर्माण नहीं है। यह भी, कि आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिसका निगरानी याचिका में पदवार विवरण दिया गया है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 1ए दिनांक 20.10.2019 तथा पट्टा विलेख संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को अपास्त किया जाए।

उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का भूखण्ड तथा जैर निगरानी विवादित भूखण्ड, दोनों पृथक पृथक भूखण्ड है एवं प्रार्थी इस भूखण्ड से किसी भी रुप में हितबद्ध नहीं है। वर्ष 1961 की लिखत में यह स्पष्ट अंकित है कि दोनो भूखण्ड पृथक पृथक भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पितागण को पृथक पृथक दिये गये थे। यह भी, कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.04.1966 की जो तथाकथित लिखत की प्रति प्रस्तुत की है, वो इस भूखण्ड से सम्बन्ध ही नहीं है। जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख दिनांक 26.10.2009 निष्पादित होने से पूर्व विवादित भूखण्ड की दक्षिण दिशा में स्थित श्री कैलाशसिंह पुत्र खीमसिंह के भूखण्ड का ग्राम पंचायत बसंत द्वारा दिनांक 15.06.2017 को पट्टा विलेख संख्या 3 निष्पादित किया गया था, जिस पट्टा विलेख की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में उगमसिंह पुत्र हेमसिंह अर्थात हमारा भूखण्ड अवस्थित होने को स्पष्ट अंकन किया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि विवादित भूखण्ड अप्रार्थी उगमसिंह का पुश्तैनी स्वामित्वाधीन भूखण्ड है तथा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा बिना किसी ठोस आधार के उक्त भूखण्ड को स्वयं के स्वामित्व का भूखण्ड बताकर आधारहीन तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत की है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी ज़ाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2020 को आलोच्य पट्टा विलेख के विरुद्ध ग्राम पंचायत बसन्त में आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/418 दिनांक 27.11.2020 को विस्तृत निर्णय लिखते हुए खारिज किया गया था। यह भी, कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत ढंग से कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी उगमसिंह के विरुद्ध इसी विषय पर दायर फौजदारी प्रकरण भी पुलिस अनुसंधान में अदम वकू झूठ साबित हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 205/2024

उनवान : रणजीतसिंह बनाम उगमसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी निगरानीकर्ता का इस भूखण्ड में कोई वैध अधिकार व हित निहित नहीं है, अतः प्रार्थी हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने से निगरानी याचिका खारिज फरमाई जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

निगरानीकर्ता श्री रणजीतसिंह द्वारा विवादित भूखण्ड को स्वयं के स्वामित्वाधीन होने का कथन करते हुए इस भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी श्री उगमसिंह के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 13 दिनांक 26.10.2019 को चुनौति प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं के स्वामित्वाधिकार को सिद्ध करने हेतु दिनांक 10.04.1966 की एक तथाकथित लिखित दस्तावेज की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई, जो उनके अनुसार किन्हीं खीमजी व रावतींग जी के मध्य एक बेचाननामें की लिखत है जिसमें प्रार्थी के पिता के नाम से विवादित भूखण्ड का पडौस के रुप में अंकन है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा मोतीजी पुत्र अदंरिग जी से सम्बन्धित बेचान लिखत की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें याची के अनुसार दक्षिण दिशा में विवादित भूखण्ड का तथाकथित अंकन है। उक्त दोनों दस्तावेजों की प्रतियों के अतिरिक्त प्रार्थीपक्ष द्वारा विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में स्वयं के स्वामित्व या अधिकारों की पुष्टि हेतु अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त दोनों दस्तावेजों को इस भूखण्ड से सम्बन्धित नहीं होना बताते हुए वक्त बहस यह निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित बेचान दस्तावेज दिनांक 06.05.1961 में यह स्पष्ट अंकित है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पितागण को पृथक पृथक दो भूखण्ड प्रदान किए गए थे तथा प्रार्थी का भूखण्ड अलग है तथा विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कोई स्वत्व अथवा स्वामित्व तथा हित निहित नहीं है।

याचिकाकर्ता द्वारा जैर निगरानी विवादित भूखण्ड पर अपने अधिकार तथा स्वामित्व की पुष्टि हेतु जिन दो दस्तावेजो का सहारा लिया है, उन दस्तावेजो की मूल अथवा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में प्रार्थी पक्ष असफल रहा है तथा अप्रमाणित फोटोप्रतियां साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं हैं। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपंजीकृत लिखित दस्तावेजों की शुचिता एवं वैधता का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है जो साक्ष्य व बयान इत्यादि से तय होगी। अपंजीकृत लिखित की वैधता यह न्यायालय तय नहीं कर सकता तथा न ही ऐसे किसी दस्तावेज की अप्रमाणित फोटोप्रति मात्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कोई उपधारणा ही कायम कर सकता है। उक्त दस्तावेजों के इतर प्रार्थी/निगरानीकर्ता विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में अन्य कोई ठोस दस्तावेज यथा पंजीकृत बेचाननामा, पट्टा विलेख इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जिनके आधार पर यह उपधारणा कायम की जा सके कि जैर निगरानी विवादित भूखण्ड में प्रार्थी 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार है।

प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गई है और उक्त धारा 97 के उपबन्धानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्ता का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना पूर्व शर्त है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में प्रावधान है कि"(1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी 'हितबद्ध व्यक्ति' द्वारा आवेदन किये जाने पर, हिन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उप धारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

(3)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो। उप धारा (1) के परन्तुक और उप धारा (2) में अंतर्विष्ट इस उप धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

अर्थात् निगरानीकर्ता जैर निगरानी विवादित भूखण्ड में अपने हित या स्वामित्वाधिकार की पुष्टि हेतु कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य यथा पट्टा विलेख, पंजीकृत विक्रय विलेख इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहा है तथा जिन दो अपंजीकृत लिखत दस्तावेजों का हवाला दिया है, उनकी वैधता या प्रमाणिकता साक्ष्य, बयानों इत्यादि से ही निर्धारित हो सकती है, जो क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में अपने सिविल अधिकारों की घोषणा हेतु याचिकाकर्ता सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है।

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ्स से भी प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का मकान/रहवासी भूखण्ड तथा जैर निगरानी विवादित भूखण्ड एक ही भूमि न होकर दो पृथक पृथक भूखण्ड है तथा विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में असफल रहा है, जिसके आधार पर प्रार्थी को जैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड के सम्बन्ध में 'हितबद्ध व्यक्ति' मानने की उपधारणा की जा सकें।

सारांशतः, न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में स्वयं को 'हितबद्ध व्यक्ति' तथा इस प्रकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानानुरुप निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का अपना अधिकार साबित करने में असफल रहा है

अतः विचाराधीन निगरानी याचिका उक्त धारा 97 के प्रावधानों के विपरित पाए जाने के आधार पर खारिज की जाती है। प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में अपने सिविल अधिकारों की प्रस्थापना हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। चूंकि यह निर्णय आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 13 बहक श्री उगमसिंह के गुणावगुण विश्लेषण पर आधारित नही है, अतः इसे उक्त पट्टा विलेख की वैधता की पुष्टि के रुप में नहीं पढा जाए।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner